सं० सं०— टी–3/भवन–02/2017........................../

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)

नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना–01

कौशलं बलम् | बिहार सरकार

प्रेषक,

उप सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–............/............/2026

विषयः– महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर, वैशाली हेतु कुल राशि रू0 7,17,78,000/– (सात करोड़ सत्रह लाख अठहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर, वैशाली हेतु अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा संस्थान के परिसर में 100 आसन वाले बालिका छात्रावास (G+3) के निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल राशि रू0 7,17,78,000/– (सात करोड़ सत्रह लाख अठहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 60 –अन्य भवन, लघु शीर्ष 051–निर्माण, उप शीर्ष –0112– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निमार्ण/उन्नयन, राज्य योजना के विपत्र कोड– 03–4059600510112 से कुल राशि रू0– 4,30,66,800/– (चार करोड़ तीस लाख छियासठ हजार आठ सौ) मात्र तथा शेष राशि रू0–2,87,11,200/– (दो करोड़ सतासी लाख ग्यारह हजार दो सौ) मात्र मुख्य शीर्ष–4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 60 –अन्य भवन, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष –0106– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण, राज्य योजना के विपत्र कोड– 03–4059607890106 से वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, हाजीपुर (वैशाली) से की जायेगी।

5. कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. संचिका संख्या– टी–3/भवन–02/2017–54/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–3/भवन–02/2017.......256.......   पटना, दिनांक–...03.../...02.../2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के उप सचिव युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal 03/02/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–3/भवन–02/2017.......256.......   पटना, दिनांक–...03.../...02.../2026

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना /प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली) /जिला कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर (वैशाली) /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मुख्यालय) /प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर (वैशाली)/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर (वैशाली) /मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal 03/02/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

बिहार, पटना।